



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001

दिनांक

17 JAN 2010

कं. डी.सी.डी.सी./सम्बद्धता/09/118

प्रेषक,

कुलसचिव,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर.

प्रति,

प्राचार्य/संचालक,
एनी बिसेन्ट कॉलेज
48 प्रिकांको कालोनी, अन्नपूर्णा रोड,
इन्दौर (म. प्र.)

विषय : सम्बद्धता संबंधी आपका आवेदन

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन दिनांक 09.04.09 के संदर्भ में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.12.2009 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

अ.क.	पाठ्यक्रम/विषय	सत्र	निर्णय
1	बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्ली., टेक्स प्रोसिजर विषय के साथ) - प्रथमवर्ष	2009-10	60-60 छात्रों के प्रवेश हेतु अस्थाई सम्बद्धता का सशर्त नवीनीकरण किया जाता है ।
2	बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्ली., टेक्स प्रोसिजर विषय के साथ) - द्वितीयवर्ष	2009-10	60-60 छात्रों के प्रवेश हेतु अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है
3	बी.एससी. (कम्प्यूटर साइंस विषय के साथ) - प्रथमवर्ष	2009-10	60 छात्रों के प्रवेश हेतु अस्थाई सम्बद्धता का सशर्त नवीनीकरण किया जाता है ।
4	बी.एससी. (कम्प्यूटर साइंस विषय के साथ) - द्वितीयवर्ष	2009-10	60 छात्रों के प्रवेश हेतु अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है
5	बी.सी.ए. - प्रथमवर्ष	2009-10	60 छात्रों के प्रवेश हेतु अस्थाई सम्बद्धता का सशर्त नवीनीकरण किया जाता है ।
6	बी.सी.ए. - द्वितीयवर्ष	2009-10	60 छात्रों के प्रवेश हेतु अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है
7	बी.बी.ए. - प्रथमवर्ष	2009-10	60 छात्रों के प्रवेश हेतु अस्थाई सम्बद्धता का सशर्त नवीनीकरण किया जाता है ।
8	बी.बी.ए. - द्वितीयवर्ष	2009-10	60 छात्रों के प्रवेश हेतु अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है
9	बी.बी.ए. (एफ.टी) - प्रथमवर्ष	2009-10	60 छात्रों के प्रवेश हेतु अस्थाई सम्बद्धता का सशर्त नवीनीकरण किया जाता है ।
10	बी.बी.ए. (एफ.टी) - द्वितीयवर्ष	2009-10	60 छात्रों के प्रवेश हेतु अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है
11	बी.कॉम. (सामान्य, इश्योरेंस एवं बैंकिंग) - प्रथमवर्ष	2009-10	60-60 छात्रों के प्रवेश हेतु अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है

Conditions :

1. The following faculty members must be appointed in college code 28.
Hindi-1, English-1, Physics-1, Mathematics-1, Commerce-1
2. Though books are sufficient for present strength of **164 students**, some more books for II year should also be purchased.

3. कॉलेज कोड में समस्त पदों की नियुक्ति अधिकतम 10 अप्रैल 2010 के पूर्व सुनिश्चित करें एवं तत्संबंधी सूचना विश्वविद्यालय में 10 अप्रैल 2010 तक सूचित करें। अन्यथा सशर्त प्रदाय की गई सम्बद्धता स्वमेव समाप्त मानी जाय। इस बाबद् महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हलफनामा (Affidavit) भी विश्वविद्यालय के डी.सी.डी.सी. कार्यालय में 20 जनवरी 2010 तक जमा करें।

- राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि एवं नियमों के अनुसार ही प्रवेश दिये जावें।
- महाविद्यालय शर्तों की पूर्ति एक माह में कर विश्वविद्यालय को सूचित करें, ताकि भौतिक सत्यापन किया जा सके।

भवदीय



(आर.डी. मुसलगांवकर)

कुलसचिव

पृष्ठांकन डी.सी.डी.सी./सम्बद्धता/09/
प्रतिलिपि :-

दिनांक :

उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन, एवं शैक्षणिक विभाग पाठ्यक्रम शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

A. Sharma

डी.सी.डी.सी.

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक-

क्रमांक / 368 / आउशि / संबद्ध / 10
प्रति,

कुलसचिव,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इंदौर।

विषय:- मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24(xii) एवं 26(एक)(v) एवं धारा 35(i) के अन्तर्गत अनुमति-अशासकीय एनीवेसेन्ट कालेज, इंदौर
संदर्भ:- संस्था का आवेदन पत्र दिनांक 28.5.2010

उपरोक्त विषयांतर्गत संस्था का नाम श्री नारायण दास यादव शिक्षा प्रसार समिति, इंदौर द्वारा संचालित-अशासकीय, एनीवेसेन्ट कालेज इंदौर को सत्र 2010-11 से निम्नानुसार कक्षाएँ/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति/अनुशासा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

विषय/पाठ्यक्रम


1. बी०काम० कम्प्युटर/टेक्स प्रोसीजर-तृतीय
 2. बी०काम० प्लेन-द्वितीय
 3. बी०बी०ए० तृतीय
 4. बी०सी०ए०-तृतीय
 5. बी०एससी०-तृतीय-कम्प्युटर साइंस
- 2/ संस्था द्वारा संबद्धता हेतु आवेदन के पूर्व निम्न पूर्तियाँ कराई जावे :-
अ) संस्था कालेज कोड 28 के अन्तर्गत एक माह में नियुक्तियाँ आवश्यक रूप से कर ले।
विश्वविद्यालय उक्त शर्त की पूर्ति के उपरांत ही संबद्धता प्रदान करें।
- 3/ संस्था को मार्गदर्शिका के बिन्दु 6.3(1) तथा 7(अ) के तन्विन्दु 7.1(3) अनुसार अंतर की राशि का मूल चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 4/ विश्वविद्यालय संबद्धता देने के पूर्व उक्त बिन्दु की पूर्ति सुनिश्चित कर ले, अन्यथा यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 5/ उक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं होने की स्थिति में यह अनुमति/अनुशासा प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- 6/ अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे। संस्था द्वारा कोई अस्तव्य जानकारी देने की स्थिति में अनुमति स्वमेव अमान्य मानी जावेगी।
- (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ० जयश्री मिश्रा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक 29-6-10

क्रमांक 222 / 368 / आउशि / संबद्ध / 10

प्रतिलिपि-सूचनार्थ व योग्य आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर उज्जैन संभाग, इंदौर।
3. प्राचार्य, अग्रणी शासकीय पीजी० कन्या महाविद्यालय, मोतीतबेला, इंदौर
4. प्राचार्य, अशासकीय एनीवेसेन्ट कालेज, 48-49 प्रिकांको कालोनी, इंदौर संस्था महाविद्यालय की वेबसाइट निर्मित कर जारी अनुमति एवं विश्वविद्यालय की संबद्धता अनिवार्य रूप से प्रकाशित करें।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

सतपुडा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 2098/276/आउशि/संबद्ध/09
प्रति,

भोपाल, दिनांक- 10/07/09

अध्यक्ष, / सचिव,

श्री नारायणदास यादव शिक्षा प्रसार समिति,
48 प्रशांको कालोनी, अन्नपूर्णा रोड, इंदौर।

विषय:- मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24(Xii) एवं 26(एक)(v) एवं धारा 35(j)
के अंतर्गत सत्र 2009-10 से अनुमति-अशासकीय एनीबेसेन्ट कालेज, इंदौर।
संदर्भ:- संस्था का आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक 27.6.09


उपरोक्त विषयांतर्गत संस्था का नाम श्री नारायणदास यादव शिक्षा प्रसार समिति द्वारा
संचालित- अशासकीय एनीबेसेन्ट कालेज, इंदौर को सत्र 2009-10 से निम्नानुसार
कक्षाएं/पाठ्यक्रम हेतु सशर्त अनुमति/अनुशंसा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :-

विषय/पाठ्यक्रम
बी0 एड0

सीट संख्या
100

- 2/ उक्त प्रदत्त अनुशंसा प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर जुलाई, 2009 तक कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा में प्रस्तुत करें। अन्यथा अनुशंसा प्रमाण पत्र स्वतः अमान्य माना जाएगा एवं इसके लिए पृथक से कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा।
- 3/ संस्था कालेज कोड 28 के अंतर्गत नियुक्तियाँ आवश्यक रूप से कर लें।
- 4/ संस्था को पाठ्यक्रम शुल्क 12000/- का चालान एवं 3000/- का डी0डी0 15 दिवस में जमा करना आवश्यक होगा।
- 5/ संस्था को बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु पृथक भवन, पृथक प्रवेश द्वार, पृथक प्राचार्य, पृथक स्टाफ, पृथक लायब्रेरी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
- 4/ एन0सी0टी0ई0 के मापदण्डों के अनुसार अधोसंरचना एवं शैक्षणिक-गैर शैक्षणिक स्टाफ की पूर्ति सुनिश्चित करें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)



(डॉ0 जयश्री मिश्रा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

क्रमांक / 276 / आउशि / संबद्ध / 09

भोपाल, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ व योग्य आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल
- 2 क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स भोपाल।
- 3 कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।
- 4 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर उज्जैन सभाग, इंदौर।
- 5 प्राचार्य, अग्रणी शासकीय पी0जी0 महाविद्यालय, इंदौर।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA – PART-III, SECTION-4

No.WRC/5-6/116th/2008/54274

Date: 06/04/09

Tg

Recognition Order

WHEREAS in terms of Section 14(1) of the NCTE Act, 1993 ANNIE BESANT COLLEGE, RAJENDRA NAGAR, 47-48 PRECANCO COLONY, ANNAPURNA ROAD, INDORE, MADHYA PRADESH has submitted an application (Code No.- APW06715/223714) to the Western Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for conducting B.ED.(CO-ED) course with an annual intake of 100 students on 2-08-2007.

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal of the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and videography, recommendation of the State Government, the Committee is satisfied that the institution/society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the SEC teacher education programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Western Regional Committee hereby grants recognition / permission to ANNIE BESANT COLLEGE, RAJENDRA NAGAR, 47-48 PRECANCO COLONY, ANNAPURNA ROAD, INDORE, MADHYA PRADESH for conducting B.ED.(CO-ED) course of SEC of 1 year duration with an annual intake of 100 (SEC) from academic session 2009-2010 under clause 7(11) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulation 2007.

4. The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund and reserve fund account into a joint account to be operated along with an officer of the Western Regional Committee.

5. The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

6. The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2007.

7. The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.

8. Further, subject to the provision of NCTE Act 1993, The institution shall fulfill all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/Body, the State Government etc. applicable.

६.५.२००९

9. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.


✓ 10. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always following as mandatory disclosure:

- (i) Copy of the Application Form
- (ii) Land and Building Particulars.
- (iii) Staff Profile.
- (iv) Recognition letter.
- (v) Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.

11. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee shall withdraw the recognition as under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

12. Further, if the institution is not satisfied by the order, they can prefer an appeal to National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, Near ITO, New Delhi-110002 against this order under section 18 of the NCTE Act, 1993 within 60 days of the issue of this order. The guidelines of appeal are enclosed herewith.


Encl: As Above.


Regional Director

The Manager to Govt. of India
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi-110054

C.C

1. The Principal, ANNIE BESANT COLLEGE, RAJENDRA NAGAR, 47-48 PRECANCO COLONY, ANNAPURNA ROAD, INDORE, MADHYA PRADESH.
2. The Secretary, (Higher Education), Government of MADHYA PRADESH, Mantralaya, Bhopal
3. The Registrar, DEVI AHILYA UNIVERSITY, INDORE.
4. The Secretary, Dept. of School Education and Literacy Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001.
5. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002.
6. Office Order file/Institution file APW06715/223714


Regional Director

महाविद्यालय नाम	—	एनीबेसेंट कॉलेज
महाविद्यालय का पता	—	48-49, प्रिकांको कालोनी इंदौर
फोन नं.	—	0731-2484033, 2484034,7 9826022213
सचिव	—	श्री मोहित यादव 9827028570
प्राचार्य	—	डॉ. प्रेमलता रिझवानी 9425900229, (रेसी.) 2796800